प्रेषक,

जे0पी0 यादव,
जनपद न्यायाधीश,
महोबा।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांकः– 173 / XV-25 दिनांकः 22.01.2025

विषयः– स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–68 / एक्स–ई–40 दिनांक 26 जुलाई, 1980 तथा पत्रांक 5627 / एक्स–सी–04 / 2009 / प्रशासन (ई–1) दिनांक 08 मई, 2009 के अनुपालन में जनपद न्यायालय, महोबा में वर्ष 2025 में स्थानीय अवकाश एवं रविवार को पड़ने वाले राजपत्रित अवकाशों के स्थान पर अतिरिक्त अवकाश घोषित कर अवकाश सम्बंधी आदेश की प्रति संलग्न कर माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सादर।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(जे0पी0 यादव) 22.1.25
जनपद न्यायाधीश,
महोबा।

जनपद न्यायाधीश
महोबा

दिनांकः 22.01.2025

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महोबा
(प्रशासनिक अनुभाग)

आदेश सं.- 17 /2025
आदेश दि.- 22 .01.2025

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या- 68/एक्स-ई-40 दिनांकित 26.07.1980 व पत्र सं०- 5627/एक्स सी-4/2009/प्रशासन (ई-1) दिनांकित 08 मई, 2009 के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी, महोबा तथा अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता समिति, महोबा के परामर्श पर तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से वर्ष 2025 के लिये प्राप्त कैलेण्डर में दिये गये निर्देशानुसार जनपद न्यायालय, महोबा के समस्त न्यायालयों एवं कार्यालयों में (बाह्य स्थित न्यायालयों/कार्यालयों सहित) वर्ष 2025 में निम्नलिखित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते है:-

स्थानीय अवकाश

क्रम सं.	दिनांक	दिन	पर्व/त्योहार
1.	15.03.2025	शनिवार	भाई दूज
2.	11.08.2025	सोमवार	कजली मेला
3.	06.09.2025	शनिवार	बारावफात
4.	22.10.2025	बुधवार	दीपावली गोवर्धन पूजा/ भाई दूज
5.	05.11.2025	बुधवार	चरखारी मेला/कार्तिक पूर्णिमा

रविवार के दिन पड़ने वाले अवकाश के स्थान पर घोषित अवकाश

रविवार को पड़ने वाले अवकाश		उनके स्थान पर घोषित अवकाश	
26.01.2025 रविवार	गणतन्त्र दिवस	05.04.2025 शनिवार	दुर्गा अष्टमी
06.04.2025 रविवार	राम नवमी	14.04.2025 सोमवार	अम्बेडकर जयन्ती

दिनांक 06.07.2025 दिन रविवार को मोहर्रम का पर्व मनाया जाना है। यदि मोहर्रम का पर्व दिनांक 06.07.2025 दिन रविवार को मनाया जाता है, तो उसके एवज में दिनांक 01.10.2025 दिन बुधवार को दुर्गा नवमी के उपलक्ष्य में तब ही अवकाश रहेगा, अन्यथा की स्थिति में दिनांक 01.10.2025 को न्यायालय एवं कार्यालय यथावत् खुलेंगे।

ईद-उल-फित्र, ईद-उल-जुहा, बारावफात एवं मोहर्रम त्योहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार परिवर्तित किये जा सकते हैं।

सभी न्यायालयों एवं कार्यालयों को सूचित किया जाये तथा आदेश की प्रति अधिवक्ता संघ, महोबा, चरखारी एवं कुलपहाड़ को भी प्रेषित की जाये तथा एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायी जाये।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी तद्नुसार सूचित किया जावे।

तद्नुसार सर्व सम्बन्धित सूचित हों।

दिनांक:- 22 .01.2025

(जे०पी०यादव) 22.1.25
जनपद न्यायाधीश,
महोबा।

जनपद न्यायाधीश
महोबा